

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा

..... (समस्त)

**विषय:-**शैक्षिक सत्र 2013-14, सत्र 2014-15, सत्र 2015-16, सत्र 2016-17, सत्र 2017-18 की प्रथम/द्वितीय किस्त तथा 2018-19 की प्रथम/द्वितीय किस्त के भुगतान से वंचित गैर-सरकारी विद्यालयों की 30.11.2019 तक प्राप्त परिवेदना के आधार पर पुनर्भरण राशि की मांग के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु ।


**प्रसंग:-**राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.12(6)/शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट/ जयपुर दिनांक 11.11.19

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प. 12(6)/शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट/ जयपुर दिनांक 11.11.19 के अनुसार गत सत्रों के भुगतान से वंचित गैर-सरकारी विद्यालयों को दिनांक 30 नवंबर 2019 तक प्राप्त परिवेदनाओं के आधार पर पुनर्भरण किया जाना है। उल्लेख है कि संबंधित गैर-सरकारी विद्यालयों की प्राप्त परिवेदनाओं का आपके कार्यालय स्तर पर जांच परीक्षणोपरांत पुनर्भरण किए जाने हेतु निदेशालय स्तर पर बजट राशि का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2013-14, सत्र 2014-15, सत्र 2015-16, सत्र 2016-17, सत्र 2017-18 प्रथम/द्वितीय तथा सत्र 2018-19 की प्रथम/द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने हेतु आवश्यक बजट राशि के ब्लॉकवार जिले के समेकित मांग प्रस्ताव संलग्न प्रारूप में तैयार कर निदेशालय को 10 दिसम्बर 2019 तक ई-मेल (ddrtebknr@gmail.com) पर प्रेषित करावें जिससे समय पर बजट राशि आवंटन की कार्यवाही संपादित की जा सके ।


संलग्न-प्रारूप ।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

  
(डॉ. मूलचन्द बोहरा)  
उपनिदेशक (आरटीई)  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ-

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि आपके नियंत्रणाधीन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालयों से उपरोक्तानुसार बजट मांग राशि के सही व पूर्ण प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

  
(डॉ. मूलचन्द बोहरा)  
उपनिदेशक (आरटीई)  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्र.सं.	स्वीकृत का नाम	IFMS कोड	शैक्षिक सत्र 2013-14				कुल मांग वशि(वशि रूप में)	शैक्षिक सत्र 2014-15				कुल मांग वशि(वशि रूप में)
			प्रथम किस्ता		द्वितीय किस्ता			प्रथम किस्ता		द्वितीय किस्ता		
			विद्यालयों की संख्या	आवश्यक नगद वशि	विद्यालयों की संख्या	आवश्यक नगद वशि		विद्यालयों की संख्या	आवश्यक नगद वशि	विद्यालयों की संख्या	आवश्यक नगद वशि	
	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--
कुल मांग वशि(वशि रूप में)												

क्र.सं.	स्वीकृत का नाम	IFMS कोड	शैक्षिक सत्र 2015-16				कुल मांग वशि	शैक्षिक सत्र 2016-17				कुल मांग वशि
			प्रथम किस्ता		द्वितीय किस्ता			प्रथम किस्ता		द्वितीय किस्ता		
			विद्यालयों की संख्या	आवश्यक नगद वशि	विद्यालयों की संख्या	आवश्यक नगद वशि		विद्यालयों की संख्या	आवश्यक नगद वशि	विद्यालयों की संख्या	आवश्यक नगद वशि	
	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--		--draft--	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--
कुल मांग वशि(वशि रूप में)												

क्र.सं.	DEO OFFICE नाम	IFMS कोड	शैक्षिक सत्र 2017-18				कुल मांग वशि(वशि रूप में)	शैक्षिक सत्र 2018-19				कुल मांग वशि(वशि रूप में)
			प्रथम किस्ता		द्वितीय किस्ता			प्रथम किस्ता		द्वितीय किस्ता		
			विद्यालयों की संख्या	आवश्यक नगद वशि	विद्यालयों की संख्या	आवश्यक नगद वशि		विद्यालयों की संख्या	आवश्यक नगद वशि	विद्यालयों की संख्या	आवश्यक नगद वशि	
	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--		--draft--	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--	--draft--

www.rajteachers.com

जिम्मेदारि का नाम-  
मोबाईल नंबर-

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्राथमिक शिक्षा

नोट-प्राथम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करें । प्राथम के संबंध में समस्त सूचना कंप्यूटर द्वारा प्रिंट करवाकर प्रेषित करावे । इस्तलिखित सूचना में अंक स्पष्ट रूप से पठनीय नहीं होने के कारण त्रुटि की समाधाना रहती है ।